ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय शोध पत्र

पंवार धर्मोपदेश (1892) एवं छत्तीस कुलीन पंवार (पोवार) समाज का संगठनात्मक विकास

एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक-संरचनात्मक विश्लेषण

विषय: क्षत्रिय पंवार/पोवार समाज की सामाजिक संरचना | **ऐतिहासिक संदर्भ:** 1892 से वर्तमान | **क्षेत्रीय अध्ययन:** मध्यभारत (मध्यप्रान्त एवं बेरार क्षेत्र)

शोध सार (ABSTRACT)

प्रस्तुत शोध पत्र सन 1892 में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ**"पँवार धर्मोपदेश"** के आलोक में क्षत्रिय पोवार (पंवार) समाज की सामाजिक संरचना, वंश परंपरा एवं संगठनात्मक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि क्षत्रिय पोवार समाज में केवल**छत्तीस (36) कुल** मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से प्रत्येक कुल को एक पवित्र धाम के समान उच्च दर्जा दिया गया है। यह पत्र 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर विगत 325 वर्षों में समाज की संगठनात्मक यात्रा—पंवार जाति सुधारणी सभा से लेकर वर्तमान अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार/पोवार महासंघ तक—तथा पोवारी भाषा व संस्कृति के संरक्षण में इसकी भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है।

1. प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्यभारत में अठारहवीं सदी के प्रारंभ (लगभग 1700 ई.) में स्थापित छत्तीस कुलीन क्षत्रिय (राजपूत) संघ ने समाज के स्वाभिमान, पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता को अक्षुण्ण बनाए रखने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। लगभग 325 वर्षों की इस दीर्घ ऐतिहासिक यात्रा में समाज ने न केवल अपनी विशिष्ट 'पोवारी' भाषा और लोक-संस्कृति को सहेज कर रखा, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी समय-समय पर आवश्यक सुधार किए हैं।

सन 1892 में प्रकाशित **"पँवार धर्मोपदेश"** इस समाज के इतिहास का एक मील का पत्थर दस्तावेज है। इस ग्रंथ में समाज के मूलभूत सामाजिक-धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इसमें यह स्पष्ट रेखांकित किया गया कि क्षत्रिय पोवार (पंवार) समाज के केवल छत्तीस कुल होते हैं और प्रत्येक कुल एक पवित्र धाम के समान है, जिसकी मर्यादा और स्मृति को अक्षुण्ण रखना प्रत्येक समाजजन का परम कर्तव्य है।

2. 'पंवार धर्मोपदेश' (1892) एवं 36 कुलों की संरचना

'पंवार धर्मोपदेश' के सिद्धांतों के अनुसार समाज की संरचना 36 कुलों पर आधारित है। इन कुलों के अंतर्गत आने वाले उपनाम/गोत्र सामाजिक समरसता, वंशावली की शुद्धता तथा वैवाहिक मर्यादाओं का आधार निर्मित करते हैं।

मुख्य सिद्धांत: क्षत्रिय पोवार (पंवार) समाज में 36 कुलों के अतिरिक्त अन्य कुलों का समावेश नहीं है। प्रत्येक कुल सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक पवित्र धाम तुल्य है।

तालिका 1: क्षत्रिय पोवार (पंवार) समाज के 36 कुल एवं उनकी क्षेत्रीय विशेषताएं

क्र. सं.	कुल / उपनाम	विशेष विवरण एवं क्षेत्रीय पहचान
1	**अम्बुले (अमुले)**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
2	**बघेले (बघेल)**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
3	**भगत**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
4	**भैरम**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
5	**भोएर**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
6	**बिसेन**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
7	**बोपचे**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
8	**चौहान**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
9	**चौधरी**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
10	**डालिया**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
11	**फ़रीदाले**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
12	**गौतम**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
13	**हनवत**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
14	**हरिनखेड़े**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
15	**जैतवार**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
16	**कटरे**	गोंदिया-गोरेगांव क्षेत्र में **देशमुख** के रूप में भी जाने जाते हैं।
17	**कोल्हे**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
18	**क्षीरसागर**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
19	**पटले**	वारासिवनी-कटंगी क्षेत्र में **देशमुख** के रूप में भी जाने जाते हैं।
20	**परिहार**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
21	**पारधी**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
22	**पुण्ड**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
23	**राहंगडाले**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
24	**रणमत्त**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
25	**रिनायत**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल

क्र. सं.	कुल / उपनाम	विशेष विवरण एवं क्षेत्रीय पहचान
26	**राणा (राणे)**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
27	**रणदेवा**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
28	**रजहांस**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
29	**रावत**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
30	**शरणागत**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
31	**सहारे**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
32	**सोनवाने**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
33	**ठाकरे (ठाकुर)**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
34	**टेम्भरे**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
35	**तुरकर**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल
36	**येड़े**	36 कुलीन क्षत्रिय पंवार वंशानुगत कुल

3. संगठनात्मक विकास एवं संस्थागत यात्रा

1892 में 36 कुलों के सिद्धांत की स्थापना के साथ ही समाज में सुधार की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए गए। इसका पहला मूर्त रूप **पंवार जाति सुधारणी सभा** के गठन के रूप में सामने आया।

3.1 पंवार जाति सुधारणी सभा का उद्देश्य

इस सभा का प्रमुख उद्देश्य गांवों और नगरों में निवासरत समाजजनों के बीच व्याप्त सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अंत करना था। इसके साथ ही, सभी समाज बंधुओं को अपनी मातृभाषा 'पोवारी' तथा प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना इस आंदोलन की रीढ़ बना।

3.2 कालक्रमानुसार संगठनात्मक क्रमिक विकास (Timeline)

1. 18वीं सदी का प्रारंभ (लगभग 1700 ई.)
छत्तीस कुलीन क्षत्रिय (राजपूत) संघ की स्थापना
मध्यभारत में 36 कुलों की संघीय भावना और पहचान की आधारशिला रखी गई।

2. सन 1892 ई.
पँवार धर्मोपदेश एवं पंवार जाति सुधारणी सभा
धार्मिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण और कुरीति उन्मूलन हेतु संस्थागत मंच का निर्माण।

3. 20वीं सदी का प्रथम चरण
मध्यप्रान्त और बेरार क्षत्रिय संघ
प्रांतीय स्तर पर समाज के व्यापक एकीकरण हेतु संगठन का पुनर्गठन।

4. स्वतंत्रता के पश्चात
अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार महासभा

राष्ट्रीय स्तर पर समाज को संगठित करने तथा शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान का दौर।

5. वर्तमान स्वरूप

अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार/पोवार महासंघ

विरासत, पहचान, पोवारी भाषा व संस्कृति के संरक्षण के साथ सर्वांगीण विकास में संलग्न सर्वोच्च संस्था।

4. सांस्कृतिक संरक्षण एवं भावी दिशा

325 से अधिक वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा में पंवार/पोवार समाज ने अपनी संघीय संरचना को न केवल जीवित रखा है, बल्कि आधुनिक संदर्भों के अनुरूप इसे प्रासंगिक भी बनाया है। पूर्वजों के आह्वान के अनुरूप आज भी यह समाज अपनी पोवारी बोली, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए कृतसंकल्पित है।

निष्कर्ष (Conclusion)

"पँवार धर्मोपदेश (1892)" केवल एक धार्मिक या सामाजिक निर्देश पुस्तिका नहीं थी, बल्कि यह छत्तीसगढ़-विदर्भ-मध्य प्रदेश क्षेत्र के क्षत्रिय पोवार समाज का एक सामाजिक संविधान था। इसने 36 कुलों की पवित्रता को स्थापित कर सामाजिक एकजुटता का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में **अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार/पोवार महासंघ** इसी समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करते हुए समाज को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहा है।

संदर्भ एवं स्रोत ग्रंथ:

1. पंवार धर्मोपदेश (1892) - मूल ऐतिहासिक ग्रंथ।
2. मध्यप्रान्त और बेरार क्षत्रिय संघ के ऐतिहासिक दस्तावेज एवं अभिलेख।
3. अखिल भारतीय क्षत्रिय पंवार/पोवार महासंघ की ऐतिहासिक विवरणिका एवं प्रतिवेदन।
4. गोंदिया, गोरेगांव, वारासिवनी एवं कटंगी क्षेत्र के क्षेत्रीय सामाजिक अभिलेख।